न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2016

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री घनश्याम पुत्र रामकिशन जाति मीणा सा. जगन्नाथपुरा तह0–बारां जिला–बारां (राज)
2– प्रबन्धक, एस.बी.आई. बैंक शाखा बारां

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

आदेश दिनांक– 27.10.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जगन्नाथपुरा में नामा. सं. 324 निर्णय दिनांक 23.11.10 से ख.नं. 346 रकबा 0.14 है. क्रेता घनश्याम पुत्र रामकिशन जाति मीणा सा. जगन्नाथपुरा के पक्ष में दिनांक 24.04.09 पु.सं. 1 जि.सं. 160 पृ. सं. 137 क्रम सं. 2009000687 पर उप पंजीयक द्वारा पंजीबद्व किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामां. खोलते समय सहवन से ख. नं. 346 रकबा 0.14 है. पर पूर्व से ही एसबीआई शाखा बारां में रहन होते हुए नामां. क्रेता के पक्ष में दर्ज कर दिया है। अतः नामां. सं. 324 दि. 23.11.10 तुरन्त ही निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 बावजूद सूचना दिनांक 9.11.2016 से निरन्तर अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक [illegible] हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:31 IST
Reason: SelfAttested

3– हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामां. खोलते समय सहवन से ख. नं. 346 रकबा 0.14 है. पर पूर्व से ही एसबीआई शाखा बारां में रहन होते हुए नामां. क्रेता के

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

पक्ष में दर्ज कर दिया है। अतः नामां. सं. 324 दि. 23.11.10 तुरन्त ही निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त आराजीयात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। उक्त आराजी पर पूर्व से रहन दर्ज था। तत्समय रहन दर्ज होते हुए भी नामां. सं. 324 दि. 23.11.10 खोला जाकर तस्दीक कर दिया गया।

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि विक्रय की गयी आराजी पर विक्रय के समय एसबीआई शाखा बारां का रहन दर्ज था जिसकी पुष्टि जमाबंदी खाता संख्या नया 161 पुराना 130 ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2067—70 तथा नामां. सं. 346, 348 एवं 349 दिनांक 13.05.2010 की प्रमाणित प्रतियों से होती है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम जगन्नाथपुरा का नामान्तकरण संख्या 324 दिनांक 23.11.2010 को निरस्त किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, ग्राम जगन्नाथपुरा का नामान्तकरण संख्या 324 दिनांक 23.11.2010 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:31 IST
Reason: SelfAttested